

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-365/2019

1. बबीता पत्नी रणवीरसिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मसीतावाली हाल
बचेर तहसील रानियां जिला सिरसा।
वादीया

बनाम्

- 1. कौशल्या पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 2. सविता पत्नी रामकुमार पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बचेर तहसील रानियां जिला सिरसा हरि0।
प्रतिवादीयागण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किप्रतिवादीयासं0 1 के नाम से दर्ज वाकें चकनं0 1 एमएसटीएसएम के ज0 सं0 2075 ता 78 के खाता सं0 13/11 में कुल 3.289 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 आराजी की वादीया व प्रतिवादीया सं0 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार वादीया व प्रतिवादीयासं0 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन कर चकनं0 1 एमएसटीएसएम के खातासं0 13/11 में से प्रतिवादीया सं0 1 कौशल्या का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...01/11/19...को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी